-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 28.05.2025

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

❖ **ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत त्वरित एवं निष्पक्ष विवेचना, प्रभावी अभियोजन एवं पैरवी के फलस्वरुप वर्ष-2023 में थाना बबेरु क्षेत्र में महिला की गैर-इरादतन हत्या करने वाले 02 अभियुक्तों को मा0 न्यायालय द्वारा दिलाई गई 08-08 वर्ष के कारावास व 10-10 हजार रुपये जुर्मानें की सजा।**

विवरण– पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देशन में चलाये जा रहे अभियान **"ऑपरेशन कन्विक्शन"** के तहत कड़ी सजा दिलाये जाने के क्रम में पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के कुशल निर्देशन में वर्ष-2023 में थाना बबेरु क्षेत्र अन्तर्गत महिला की गैर-इरादतन हत्या करने वाले 02 अभियुक्तों को 08-08 वर्ष के कारावास व जुर्माने से दण्डित कराया गया। गौरतलब हो कि थाना बबेरु क्षेत्र के ग्राम कोर्रम निवासी सेवा पत्नी मधुकान्त की गांव के ही 02 व्यक्तियों द्वारा दिनांक 29.08.2023 को लाठी-डंडे से मारपीट कर गम्भीर रुप से घायल कर दिया था जिनकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई थी। इस सम्बन्ध में मृतका के ससुर क्षत्रपाल की तहरीर पर थाना बबेरु पर **मु0अ0सं0 413/23 धारा 323/304/504/506 भादवि** पंजीकृत किया गया था जिसकी विवेचना **उ0नि0 श्री राधेश्याम मिश्रा** द्वारा सम्पादित की गयी। विवेचना के क्रम में विवेचक द्वारा प्रभावी विवेचना करते हुए आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया था। **लोक अभियोजक श्री विजय बहादुर सिंह व उमाशंकर पाल** द्वारा मा0 न्यायालय में प्रभावी पैरवी की गई साथ ही **कोर्ट मोहर्रिर मुख्य आरक्षी भानु प्रताप तथा पैरोकार आरक्षी चक्रधारी** के अथक प्रयासों से अभियुक्त को **मा0 न्यायालय बांदा द्वारा दोनों अभियुक्तों को 08-08 वर्ष के कारावास व 10-10 हजार** के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया।

अभियुक्त-

1. **विक्रम पुत्र श्यामलाल निवासी कोर्रम थाना बबेरु जनपद बांदा।**
2. **मनोज पुत्र बांके बिहारी निवासी कोर्रम थाना बबेरु जनपद बांदा।**